

124



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प-उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक.

~~2018~~ निगरानी-4083/2018/देवास/श-र.

- 1- मानसिंह पिता श्री पीरूसिंह, जाति गुर्जर, आयु 54 वर्ष, धंधा खेती,
- 2- बनेसिंह पिता श्री पीरूसिंह, जाति गुर्जर, आयु 44 वर्ष, धंधा खेती
- 3- रमेश पिता श्री पीरूसिंह, आयु 39 वर्ष, जाति गुर्जर, धंधा खेती,
- 4- गंगाबाई विधवा श्री पीरूसिंह, जाति गुर्जर, आयु 74 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासीगण-ग्राम देवगुराडिया तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

—निगरानीकर्तागण
विरुद्ध

- 1- श्रीमती गीताबाई पति श्री हिन्दूसिंह, जाति गुर्जर, आयु लगभग 40 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य,
- 2- धनसिंह पिता श्री घीसाजी, जाति गुर्जर, आयु 60 वर्ष, धंधा खेती,
- 3- हिन्दूसिंह पिता श्री घीसाजी, जाति गुर्जर, आयु 44 वर्ष, धंधा खेती,
- 4- श्रीमती सम्पतबाई विधवा श्री घीसाजी, जाति गुर्जर, आयु लगभग 84 वर्ष, धंधा खेती, निवासीगण-ग्राम देवगुराडिया तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)
- 5- श्रीमती सुगनबाई पति श्री प्रभूसिंह पुत्री श्री भैरूसिंह, जाति गुर्जर, आयु 43 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासी-ग्राम भीलसानी तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)

निरंतर.....2

नि.कं.
गंगाबाई

प्रार्थी अग्रिम. श्री सचिन तेज गुरिया
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ...13/6/18
मधीक्षक 12.6.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

500
13/6/18

रमेश

मानसिंह

बनेसिंह

1

- 6- श्रीमती तेजुबाई पति श्री रमेश पुत्री श्री भैरुसिंह, जाति गुर्जर, आयु 42 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासी-ग्राम बटवाड़ी तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)
- 7- श्रीमती शारदाबाई पति श्री मेहरबानसिंह पुत्री श्री भैरुसिंह, जाति गुर्जर, आयु 39 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासी-ग्राम रूणजी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.)
- 8- श्रीमती केलमबाई पति श्री हिन्दूसिंह पुत्री श्री भैरुसिंह, जाति गुर्जर, आयु 37 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासी-ग्राम चौहानी तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)
- 9- श्रीमती मानकुंवर विधवा भैरुसिंह, जाति गुर्जर, आयु 69 वर्ष, धंधा खेती एवं गृहकार्य, निवासी-ग्राम बटवाड़ी तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) —उत्तरवादी/प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आदेश दिनांक 25/04/2018 अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील सोनकच्छ जिला देवास में उत्तरवादी क्रं.-1 के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 39/बी-121/2017-18 को स्वीकार किया है। उक्त आदेश से दुःखी एवं असन्तुष्ट होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं :-

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से यह आवेदन पत्र सेवा में सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

01. यह कि, निगरानीकर्तागण ने एक आवेदन पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय सोनकच्छ के समक्ष वास्ते विधिवत् नामान्तरण हेतु अपनी भूमि पर विरुद्ध बंटवारा उत्तरवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया था जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 3/अ-27/2013-14 जिसमें पारित आदेश दिनांक

रमेश

म.न.श.र. व.न.श.र.


3

निरंतर.....3
दि. 31/01/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4083/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन तेनगुरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	